

पार्किंग/बाडे के ठेके की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1 न्यूनतम बोली निम्न तालिका अनुसार शुरू होगी।

क्र. स	पार्किंग/बाडा स्थान	गत वर्ष की नीलामी दर
1	महेन्द्रगढ़	5,00,000/-
2	नांगल चौधरी	14,80,000/-
3	सिहमा	2,86,000/-
4	निजामपुर	8,34,000/-
5	सतनाली	1,00,000/-
6	नारनौल	15,01,000/-

- बाडे का ठेका एक वर्ष के लिए होगा जो कि जिस दिनांक से वर्क आर्डर जारी होगा, उस दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।।
- सर्वाधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार को 1 वर्ष की राशि बोली के 72 घंटों के अन्दर-अन्दर नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, भारतीय रैड कास सोसायटी, नारनौल के नाम से बैंक तथा कार्यालय में (बैंक अवकाश को छोड़कर) जमा करवानी होगी यदि सफल बोलीदाता द्वारा किसी भी कारण से 72 घंटों में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो अग्रिम व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी और उसकी बोली रद्द मानी जाएगी एवं भविष्य में होनी वाली बोलियों में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही दूसरे नं० के उच्चतम बोलीदाता को प्रथम बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली राशि पर ही यदि वह लेने को सहमत हो तो उससे सहमति पत्र के आधार पर ठेका दिया जाएगा। द्वितीय नं० के बोलीदाता को बोली की समस्त राशि रैड कास कार्यालय द्वारा पत्र जारी उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर (बैंक अवकाश को छोड़कर) नकद/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी भी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- बोली में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को बोली की सिक्योरिटी राशि 1,00,000/-रु० दिनांक 07-11-2025 तक साय: 05:00 बजे तक रैड कास कार्यालय में इंडियन रैड कास सोसायटी, जिला शाखा, नारनौल के नाम से डी.डी. के रूप में जमा करवाई जानी अनिवार्य है। जिस भी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा दिनांक 07-11-2025 साय: 05:00 बजे तक यदि सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो वह बोली में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा। सफल बोली धारक जिनके द्वारा सर्वाधिक बोली लगाई जाएगी को छोड़कर अन्य बचे बोलीदाताओं को 72 घण्टे के अन्दर उनके द्वारा जमा करवाए गये डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
- बोली की राशि जिस पर सफल बोली छोड़ी जाएगी पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि का भुगतान अतिवृत्ति देय होगा।
- चार टायर तक वाली गाडी के 250/-रु० प्रतिदिन तथा अधिक टायर होने पर 50/-रु० प्रति टायर प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा।
- पकड़ी गई गाडियों को टोचन करने के लिए रिकवरी वैन का इन्तजाम ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर करना होगा।
- गाडी ठेकेदार द्वारा टोचन करके लाई जाने पर निम्न चार्जिज होंगे:-
 - छोटा वाहन (चार टायर तक) 500/-रु०
 - मिडियम वाहन (6 टायर से 10 टायर तक) 750/-रु०
 - बड़ा वाहन (10 टायर से अधिक के वाहन) 1000/-रु०
- पार्किंग में जो गाडी खडी होगी चाहे वो वाहन किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा पकडकर खडा करवाया गया हो उस वाहन की पार्किंग में खडा करने का किराया वाहन के मालिक द्वारा पार्किंग के ठेकेदार को जमा करवाया जायेगा और पार्किंग ठेकेदार द्वारा उस पार्किंग किराये की रसीद वाहन के मालिक को दी जायेगी।

- 10 पार्किंग का ठेका अलग-अलग जगह का दिया जायेगा जो नारनौल, महेन्द्रगढ़, नांगल चौधरी, सिहमा, निजामपुर, सतनाली के अन्य स्थानों का भी होगा जहां जिला प्रशासन (एस.डी.एम., आर.टी.ओ., पुलिस विभाग को आवश्यकता नजर आती हैं)। ठेकेदार को अपनी पार्किंग वहीं चलानी होगी जहां के लिए उसको ठेका दिया गया है। उदाहरण के लिए नारनौल यदि पार्किंग दी गई है तो वह नारनौल शहर के दो से पाँच किलोमीटर की परिधी या बिना ऐतराज वाली उस ब्लॉक की जगह में ही होगा इससे अधिक नहीं और इसी प्रकार यह नियम अन्य जगहों पर भी लागू होगा। यदि उल्लंघना की जाती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
- 11 जिले भर में जहां भी ठेकेदार द्वारा पार्किंग आदि शुरू किया जायेगा उस जगह की मलकियत किराया नामा के कागजात आदि ठेकेदार द्वारा सचिव, रैड कास नारनौल के पास जमा करवाने होंगे किसी विवादित जगह में यह पार्किंग/बाड़ा आदि नहीं खोला जायेगा। जमीन का किराया, बिजली आदि का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। कागजात जमा होने उपरान्त ही सचिव, रैड कास द्वारा पत्र जारी किया जायेगा।
- 12 पार्किंग/बाड़े की किसी भी रूप में शिकायत प्राप्त होती है अथवा प्रशासन को लगता है कि यह जगह विवादित है अथवा गांव के और शहर के प्रबुद्ध लोगों को उस पर कोई ऐतराज है तो उपायुक्त एवं प्रधान, रैड कास सोसायटी को पूरा अधिकार होगा कि वो पार्किंग/बाड़े का अलाटमेन्ट तुरन्त रद्द कर दे। उपायुक्त एवं प्रधान महोदय का आदेश अंतिम आदेश होगा जो सभी को मान्य होगा। इसके लिए पार्किंग/बाड़े के ठेकेदार को सचिव, रैड कास को शपथ पत्र देना होगा कि वो नियम व शर्तों की पालना करते हैं। किसी भी सूरत में ठेकेदार की वजह से ठेका रद्द किया जाता है तो सभी प्रकार की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।
- 13 पार्किंग/बाड़े से क्या लाभ/हानि होती है यह जिम्मेदारी पूर्णरूप से ठेकेदार की होगी। रैड कास किसी भी हानि की भरपाई नहीं करेगा। यदि ठेकेदार बीच में पार्किंग बन्द करता है तो किसी भी प्रकार की राशि वापिस नहीं दी जायेगी। किसी भी सूरत में ठेकेदार की वजह से ठेका रद्द किया जाता है तो सभी प्रकार की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।
- 14 यदि जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार की शिकायत पार्किंग/बाड़े के बारे में अथवा ठेकेदार के बारे में प्राप्त होती है तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा और पार्किंग/बाड़े का ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में ठेकेदार की वजह से ठेका रद्द किया जाता है तो सभी प्रकार की सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।
- 15 यदि किसी कारणवश जिला प्रशासन एवं रैड कास पार्किंग/बाड़े का ठेका समयावधि से पहले रद्द करता है तो भी सभी प्रकार की जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी, जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।
- 16 जो भी राशि वाहन की निर्धारित की गई है उसके अतिरिक्त यदि पार्किंग ठेकेदार राशि लेता है तो उसे नियमों की उल्लंघना माना जायेगा और इस मामले में अंतिम निर्णय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय रैड कास सोसायटी नारनौल का होगा।
- 17 पार्किंग स्थल पर बोर्ड/रेट लिस्ट, ठेकेदार का नाम, मोबाईल नं., पार्किंग किस के नाम से चलाई जा रही है पूरा विवरण लिखना होगा। रसीद जो काटी जायेगी उसकी एक रसीद वाहन चालक को भी दिया जाना जरूरी है और रैड कास के अधिकारी/आर.टी.ओ. अधिकारी एवं उच्च अधिकारी कभी भी रिकार्ड चैक कर सकते हैं। हर माह इस बारे में रिपोर्ट रैड कास को लिखित में देना जरूरी है।
- 18 यदि पार्किंग लेने वाले ठेकेदार को किसी न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है तो वह वह इस बली में भाग नहीं ले सकते। इस बारे में बली से पूर्व शपथ पत्र सचिव, रैड-कास को लिखकर देना होगा बाड़ा एक ब्लॉक में केवल एक ही होगा और ब्लॉक क्षेत्र में ही होना आवश्यक है।

- 19 यदि पार्किंग लेने वाले ठेकेदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किमिनल केस दायर/लम्बित है एवं पार्किंग/बाड़े की समयावधि के दौरान उसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। सजा सुनाई जाने वाले ठेकेदार द्वारा सचिव, रैड कास को अवगत करवाया जाना अनिवार्य है एवं इस बारे में बोली से पूर्व शपथ पत्र सचिव, रैड-कास को लिखकर देना होगा।
- 20 पार्किंग में वाहन यदि एक महीने से अधिक दिन खड़ा रहता है तो अधिकतम किराये के रूप में 21 हजार रू० से अधिक की राशि नहीं ली जाएगी और वाहन मालिक को रसीद काटकर देनी होगी।
- 21 पार्किंग ठेकेदार को रैड कास द्वारा प्रदान की गई रसीद ही वाहन मालिक/ड्राइवर को काटकर देनी होगी। रसीद भर जाने पर काउन्टर फाईल रैड कास में जमा करवानी होगी और नई रसीद रैड कास द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 22 6 ब्लाको नारनौल, महेन्द्रगढ़, नांगल चौधरी, सिंहमा, निजामपुर, सतनाली का ठेका छोड़ा जाएगा।
- 23 ठेकेदार द्वारा जो बाड़े में कर्मचारी लगाए जाएंगे उनकी पुलिस वैरीफिकेशन ठेकेदार व सचिव, रैड कास द्वारा करवाई जानी अनिवार्य है। वैरीफिकेशन उपरान्त वैरीफिकेशन सर्टीफिकेट की एक प्रति कार्यालय को देनी होगी। यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी की कोई भी अपराधिक मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो बाड़े में कार्य नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त बाड़े में अधिकृत कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति उपस्थित रहता है तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
- 24 बाड़े पर सी.सी.टी.वी. कैमरा व 45 दिनों की रिकार्डिंग रखी जानी जरूरी होगा। यदि सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं हैं तो ठेके के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर उपरोक्त कार्य करवाकर सचिव, रैड-कास के कार्यालय को सूचित करना होगा।
- 25 जिस गाड़ी वाले ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग का जितना पैसा पार्किंग ठेकेदार को दिया है उतने पैसे की रसीद देना अनिवार्य है। यदि किसी को ठेकेदार ने रसीद नहीं दी और किसी गाड़ी स्वामी, ड्राइवर की शिकायत प्राप्त हुई तो उसका ठेका रद्द किया जा सकेगा और सम्पूर्ण जमा की गई राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
- 26 उपरोक्त बाड़ों वाले किसी भी मामले में उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा लिया गया निर्णय सभी के लिए बाध्य होगा।
- 27 प्रत्येक बाड़े के लिए बोली का रिजर्व मूल्य शर्त सं० 1 अनुसार होगा तथा बाड़ा आवंटन उपरान्त बाड़ा/पार्किंग में किसी भी विभाग द्वारा जब्त करके खड़ी की गई गाड़ी की सुरक्षा एवं देखरेख की जिम्मेदारी पूर्णतया ठेकेदार की होगी। यदि बाड़े में खड़े किसी भी वाहन को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
- 28 सफल बोलीदाता को सचिव, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी नारनौल के साथ बोली उपरान्त बाड़े के संचालन हेतु शर्तों व नियमों की पालना सम्बंधित अनुबंध पत्र पंजीकृत करवाना होगा।
- 29 उपरोक्त बाड़ों की बोली एवं इससे सम्बंधित नियम व शर्तों में बदलाव आदि का पूर्ण अधिकार उपायुक्त एवं प्रधान महोदय को होगा। साथ ही बाड़ों के विषय में उनके द्वारा लिए गए निर्णय सर्व मान्य होंगे।
- 30 किसी कारणवश भी ठेका रद्द होता है तो ठेकेदार द्वारा सभी वाहन सम्बंधित विभाग को एक सप्ताह के अन्दर सौंपने होंगे एवं ठेका रद्द होने उपरान्त किराया वसूल करने का कोई अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
- 31 ऑनलाईन बोली दिनांक 11.11.2025 को प्रातः 10:00 बजे शुरू होगी व सायः 03:00 बजे तक चलेगी। अगर आखिरी 5 मिनट में बोली लग जाती है तो बोली का समय 10 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
- 32 बोली <https://eauction.gov.in> पोर्टल पर दिनांक 29.10.2025 को पब्लिश की जाएगी।

- 33 बोली के समस्त नियम व शर्तों की पालना करने वाले कोई भी आमजन व्यक्तिगत या फर्म के तौर पर बोली में हिस्सा ले सकते हैं।
- 34 दस लाख से निचे की बोली तक प्रति बोली न्यूनतम 5,000/-रुपये बढ़ाकर बोली लगानी होगी व दस लाख से उपर की बोली में न्यूनतम 10,000/-रुपये बढ़ाकर बोली लगानी होगी।
- 35 बोली में भाग लेने वाले प्रतिभागी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पार्किंग/बाड़े के संचालन में प्रयोग की जाने वाली जमीन का मालिकाना हक प्रमाण अथवा पंजीकृत किरायानामा <https://eauction.gov.in> पोर्टल पर अपलोड करना होगा व एक फोटो प्रति कार्यालय में भी जमा करवानी होगी तथा सफल बोलीदाता को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड व पार्किंग/बाड़े के संचालन में प्रयोग की जाने वाली जमीन का मालिकाना हक प्रमाण अथवा पंजीकृत किरायानामा रैड कास कार्यालय में जमा करवाना होगा।
- 36 बोली में न्यूनतम दो बोलीदाताओं का होना अनिवार्य है अन्यथा बोली रद्द मानी जायेगी।
- 37 इस ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता द्वारा 1180/-रुपये की फीस राशि Society For IT Initiative Fund For E-Governance, Chandigarh के नाम डी.डी. के माध्यम से रैड कास कार्यालय में दिनांक 07-11-2025 तक साय: 05:00 बजे तक जमा करवानी होगी। यह राशि Non Refundable होगी।
- 38 बोलीदाता द्वारा पार्किंग के लिए चिन्हित/निश्चित किए गए स्थान जब्त किए गए वाहनों की पहुँच के योग्य होने चाहिए यदि किसी भी कारण से खनन विभाग, आर.टी.ए. कार्यालय अथवा अन्य किसी सम्बन्धित कार्यालय को लगता है कि चिन्हित किया गया स्थान जब्त किए गए वाहनों की पार्किंग की पहुँच के लिए योग्य नहीं है तो उपायुक्त एवं प्रधान महोदय को बोली रद्द करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। चिन्हित किए गए पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन खनन विभाग एवं आर.टी.ए. कार्यालय द्वारा बोली उपरान्त किया जाएगा एवं सचिव, रैड कास को सम्बन्धित विभाग द्वारा चिन्हित किए गए पार्किंग स्थल की उपयुक्तता बारे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। किसी भी कारणवश यदि प्रशासन /सम्बन्धित विभाग द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थल को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो सफल बोलीदाता को दूसरा अन्य उपयुक्त पार्किंग स्थल चयन करने एवं इसकी अनापत्ति प्राप्त करने हेतु 3 दिनों का समय दिया जायेगा। फिर भी यदि प्रथम सफल बोलीदाता उपयुक्त पार्किंग स्थल की व्यवस्था नहीं करता है तो उसकी बोली रद्द मानी जाएगी एवं द्वितीय उच्च बोलीदाता को अवसर प्रदान किया जायेगा।